अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल : 462 004

क्रमांक / 4 / शैक्ष / 2011 / भोपाल, दिनांक : 28.11.2011

/ /सूचना/ /

तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संस्था स्तर की काउंसलिंग

(बी.ई., फार्मेसी (बी / डी), एमबीए, एमसीए, एम.ई / एम.टेक, एम.फार्मा., बी.आर्क, बीएचएमसीटी, पोलीटेकनिक डिप्लोमा इत्यादि के प्रथम वर्ष एवं लेट्रल ऐन्ट्री के माध्यम से बी.ई / बी.फार्मेसी के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु)

(सत्र 2011—12)

मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के आदेश क्रमांक 2061 / 2401 / 2011 / बयालीस (1) दिनांक 26 नवंबर, 2011 के परिपालन में सत्र 2011—12 में उपरोक्त तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संस्था स्तर की काउंसलिंग दिनांक 29.11.2011 से 03.12.2011 तक आयोजित करने की अनुमति दी जाती है । संस्था स्तर की काउंसलिंग निम्नलिखित शर्तो के अधीन आयोजित की जावेगी:—

1. संस्थाएं प्रवेश के लिए केवल एक बार काउंसिलिंग आयोजित कर सकेंगी,
2. इस काउंसिलिंग में पूर्व के चरणों में प्रवेशित विद्यार्थियों को अपने प्रवेश निरस्त करवाकर सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी
3. इस चरण की काउंसलिंग में संस्थाएं प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों से यह घोषणा—पत्र लिया जावे कि उन्होंने प्रवेश हेतु पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि यथा 20 अक्टूबर, 2011 (एमबीए / एमसीए / लेटरल इंट्री—बी.ई के लिये) तथा 30 सितंबर, 2011 (अन्य पाठ्यक्रमों के लिये) के पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त नहीं करवाया है।
4. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के अंतर्गत संचालित की जाने वाली बी.ई. पाठ्यक्रम की संस्था स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को भी शासन द्वारा प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है तथा इस संस्था में भी प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
5. काउंसलिंग हेतु रिक्त रह गई सीटों तथा अध्यतन जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
6. संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु पूर्व में जारी प्रक्रिया अनुसार आयोजित की जावेगी। संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी दिनांक 29 नवम्बर, 2011 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे तथा संस्थाओं में आयोजित होने वाली संस्था स्तर की

काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि जोकि वेबसाइट www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है, को उपस्थित होकर प्रवेश का चांस ले सकेंगे।

7. एमसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर अथवा उनके खण्डपीठ द्वारा अपने अंतरिम आदेश में काउंसलिंग आयोजित होने पर काउंसलिंग में भाग लेकर प्रवेश हेतु अवसर दिये जाने हेतु अंतरिम आदेश पारित किया गया है, पारित आदेशानुसार वादी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति तथा प्रवेश नियमों में उल्लेखित दस्तावेजों सहित संस्था स्तर की काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु एमपीऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम काम्पलेक्स, होशंगाबाद रोड़, भोपाल में उपस्थित होकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत संस्था में निर्धारित तिथि को संस्था स्तर की काउंसलिंग में सम्मिलित होकर अंतरिम प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश में यदि प्रकरण खारिज किये जाते हैं तो वादियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा किसी भी तरह के शुल्क जोकि काउंसलिंग के दौरान जमा किया गया है, वह वापिस नहीं किया जावेगा।

प्रवेश नियम, प्रवेश प्रक्रिया, रिक्त स्थानों की जानकारी इत्यादि वेबसाइट www.dtempcounselling.org & www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश